झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-13/2014-15/ 02 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 07.04.16

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना अंतर्गत मो0 260.00 लाख (दो करोड़ साठ लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति एवं योजना का अवधि विस्तार।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 04 दिनांक 11.05.2015 तथा 22 दिनांक 12.01.2016 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 519 दिनांक 11.05.2015 तथा 2094 दिनांक 12.01. 2016 के कम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं0 ..... दिनांक .... के अनुसार राज्य योजना अंतर्गत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना के अधीन कुल मो0 260.00 लाख (दो करोड़ साठ लाख) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं निम्न पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की है:

क0	कोटि वर्ग	पदनाम	कुल सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	समूह-ख	मुख्य अनुदेशक (जिला मत्स्य पदाधिकारी समकक्ष)	02	9300-34800 + ग्रेड पे 4800	स्वीकृत्यादेश सं0 म0नि0-I-स्था0-70/2012-13/ 21 दिनांक 06.02.2014 द्वारा सृजित
2	समूह-ख	अनुदेशक (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के स्तर)	04	9300-34800 + ग्रेड पे 4200	
3	समूह-ग	भंडारपाल	01	5200-20200 + ग्रेड पे 2400	
4	समूह-ग	उच्चवर्गीय लिपिक	01	5200-20200 + ग्रेड पे 2400	
5	समूह-ग	निम्नवर्गीय लिपिक	03	5200-20200 + ग्रेड पे 1900	
6	समूह-	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा)	01	5200-20200 + ग्रेड पे 2400	
7	समूह-	चालक (आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा)	01	5200-20200 + ग्रेड पे 1900	
8	समूह-घ	चपरासी	02	4440-7440 + ग्रेड पे 1650	
		कुल स्वीकृत पदों की संख्या :	कुल 13 (तेरह)		

2. अनुमानित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित मदों में किया जायेगा, जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं संबंधित लघु शीर्षों में राशि का बजट उपबन्ध प्राप्त है:

मॉग सं0-53 मत्स्य-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन

क्रमांक	**लघु शीर्ष -796 जनजातीय-क्षेत्र उप योजना**-उप **शीर्ष** -18- मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	01 वेतन 53P240500796180101	34.30
	विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा भत्ते	
2	13 देशीय यात्रा भत्ता 53P240500796180213	0.20
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
3	15 कार्यालय व्यय 53P240500796180315	8.00
4	16 किराया, दर, कर 53P240500796180316	1.50
5	17 मशीन एवं उपकरण 53P240500796180317	3.00
6	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53P240500796180323	12.00
7	33 दूरभाष 53P240500796180333	2.00
8	35 प्रशिक्षण व्यय 53P240500796180335	62.00
9	37 विद्युत व्यय 53P240500796180337	5.00
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियॉ/ईंधन	
10	42 मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति 53P240500796180442	4.00
11	05- निर्माण 43 अनुरक्षण,मरम्मति एवं सुसज्जिकरण(सामग्री)	8.00
	कुल योग	140.00
		कुल मो0 एक करोड़ चालीस लाख रू0 मात्र।

क्रमांक	**लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना**-उप शीर्ष -18- मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	विस्तृत शीर्ष 03-प्रशासनिक व्यय 35 प्रशिक्षण व्यय 53P240500789180335	25.00
		कुल मो0 पच्चीस लाख रू0 मात्र।

क्रमांक	**लघु शीर्ष -101- अन्तर्देशीय मछली पालन**-उप शीर्ष -18- मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	विस्तृत शीर्ष 03-प्रशासनिक व्यय 35 प्रशिक्षण व्यय 53P240500101180335	95.00
		कुल मो0 पंचानबे लाख रू0 मात्र।
		तीनों लघु शीर्षों में स्वीकृत राशि का सकल योग- 260.00 लाख रू0 मात्र।

02
07/4/16

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-53 मत्स्य मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के अंतर्गत उप शीर्ष-18-मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन योजना के अंतर्गत केन्द्रवार एवं जिलावार प्रशिक्षणार्थियों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य:

(क) मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची

(वित्तीय लक्ष्य की राशि लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना		101-अन्तर्देशीय मछली पालन		कुल वित्तीय लक्ष्य
		प्रशिक्षणार्थियों की सं0 भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	प्रशिक्षणार्थियों की सं0 भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	प्रशिक्षणार्थियों की सं0 भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राँची	70	1.19	250	4.25	210	3.57	9.01
2	खूंटी	40	0.68	125	2.125	100	1.70	4.505
3	गुमला	70	1.19	225	3.825	190	3.23	8.245
4	सिमडेगा	30	0.51	150	2.55	100	1.70	4.76
5	लोहरदगा	40	0.68	125	2.125	100	1.70	4.505
6	लातेहार	40	0.68	150	2.55	100	1.70	4.93
7	प0 सिंहभूम	50	0.85	225	3.825	150	2.55	7.225
8	पूर्वी सिंहभूम	45	0.765	175	2.975	160	2.72	6.46
9	सरायकेला	60	1.02	150	2.55	160	2.72	6.29
10	दुमका	50	0.85	225	3.825	200	3.40	8.075
11	जामताड़ा	40	0.68	100	1.7	100	1.70	4.08
12	साहेबगंज	40	0.68	100	1.7	120	2.04	4.42
13	पाकुड़	40	0.68	100	1.7	120	2.04	4.42
14	हजारीबाग	70	1.19	125	2.125	210	3.57	6.885
15	रामगढ़	40	0.68	75	1.275	140	2.38	4.335
16	कोडरमा	40	0.68	75	1.275	120	2.04	3.995
17	चतरा	40	0.68	125	2.125	150	2.55	5.355
18	बोकारो	70	1.19	75	1.275	180	3.06	5.525
19	गिरिडीह	60	1.02	75	1.275	150	2.55	4.845
20	धनबाद	50	0.85	75	1.275	170	2.89	5.015
21	गोड्डा	40	0.68	75	1.275	160	2.72	4.675
22	पलामू	50	0.85	150	2.55	140	2.38	5.78
23	गढ़वा	50	0.85	75	1.275	120	2.04	4.165
24	देवघर	50	0.85	75	1.275	170	2.89	5.015
	कुल	1175	19.98	3100	52.70	3520	59.84	132.515

02 07/4/16

(ख) मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, डोरण्डा (समेकित मत्स्य पालन) (वित्तीय लक्ष्य की राशि लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना		101-अन्तदेर्शीय मछली पालन		कुल वित्तीय लक्ष्य
		प्रशिक्षणार्थियों की सं0 भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	प्रशिक्षणार्थियों की सं0 भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	प्रशिक्षणार्थियों की सं0 भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राँची	20	0.340	35	0.595	90	1.53	2.465
2	खूंटी	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
3	गुमला	20	0.340	30	0.51	90	1.53	2.380
4	सिमडेगा	6	0.102	20	0.34	38	0.646	1.088
5	लोहरदगा	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
6	लातेहार	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
7	प0 सिंहभूम	12	0.204	30	0.51	55	0.935	1.649
8	पूर्वी सिंहभूम	12	0.204	20	0.34	55	0.935	1.479
9	सरायकेला	12	0.204	20	0.34	55	0.935	1.479
10	दुमका	12	0.204	25	0.425	55	0.935	1.564
11	जामताड़ा	6	0.102	15	0.255	30	0.51	0.867
12	साहेबगंज	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
13	पाकुड़	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
14	हजारीबाग	20	0.340	25	0.425	85	1.445	2.210
15	रामगढ़	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
16	कोडरमा	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
17	चतरा	12	0.204	20	0.34	55	0.935	1.479
18	बोकारो	20	0.340	25	0.42	85	1.445	2.210
19	गिरिडीह	12	0.204	20	0.34	55	0.935	1.479
20	धनबाद	20	0.340	30	0.51	85	1.445	2.295
21	गोड्डा	10	0.170	20	0.34	45	0.765	1.275
22	पलामू	12	0.204	20	0.34	55	0.935	1.479
23	गढ़वा	12	0.204	20	0.34	55	0.935	1.479
24	देवघर	12	0.204	32	0.55	55	0.935	1.683
	कुल	300	5.100	547	9.30	1358	23.086	37.485

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची होगें जो राशि की निकासी दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप दिये गये आवंटन के अंतर्गत डोरण्डा कोषागार से करेंगे।

02
7/4/16

5. (i) उपरोक्त कंडिका (क) एवं (ख) में वर्णित प्रशिक्षण कार्य में मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/ बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने के साथ-साथ समेकित मत्स्य पालन हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रुप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय राँची तक) भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षण मद की अवशेष राशि से कौशल विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण के तहत जे0सी0बी0 मशीन का किराया उपलब्ध राशि के साथ-साथ सामान्य प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री क्रय/भवनों एवं उपस्करों का रख-रखाव के साथ-साथ प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर यथा आंध्र-प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल अथवा अन्य राज्यों में तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित रिजर्व वाहन-भाड़ा/ बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा माँगा गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

जिलावार संलग्न भौतिक लक्ष्य कंडिका '3' के (क) एवं (ख) में उल्लिखित संख्याओं के अनुरुप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रशिक्षणार्थियों का जिलावार भौतिक लक्ष्य कंडिका '3' के (क) एवं (ख) में संधारित है। निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर जिलावार प्रशिक्षण के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(iii) इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक विकलांग नीति झारखण्ड के तहत् इच्छुक विकलांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(iv) इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान् के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

6. **विगत वर्ष में प्रशिक्षित किये गये मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को कंडिका '3' के (क) में उल्लिखित कार्य हेतु मात्र दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा जबकि कंडिका '3' के (ख) में उल्लिखित प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षणार्थियों को पॉच दिनों का प्रशिक्षण दिया जायगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पॉच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रुप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।**

7. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा विशेष सचिव (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

02
07/4/16

8. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची अधीनस्थ राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के लिए यात्रा भत्ता के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी होंगे। मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची के यात्रा भत्ता के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे।

9. प्रशिक्षण केन्द्र में आवश्यकतानुसार मशीन उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति का क्रय मत्स्य निदेशालय द्वारा गठित क्रय समिति की अनुशंसा के पश्चात वित्त विभाग द्वारा क्रय की स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

10. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

13. वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत मो0 240.00 लाख रु0 मात्र से अब-तक मो0 207.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जायगा।

14. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

15. इस योजना अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है ।

16. यह पूर्णतः राज्य योजना है ।

17. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0 -01-2005-302 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

7/4/16

(पूजा सिंघल)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 02 मत्स्य / रॉची , दिनांक 07.04.16

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/4/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची , दिनांक 07.04.16

प्रतिलिपि निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची , दिनांक 07.04.16

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य, मत्स्य भवन, डोरंडा, राँची/उप मत्स निदेशक (सभी) /सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची , दिनांक 07.04.16

प्रतिलिपि: सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के आप्त सचिव, विशेष सचिव (पशुपाल प्रभाग) के आप्त सचिव, योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची / अ वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त उप विकास आयुक्त/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारख राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचि